कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्टोर / 2025 / दिनांक :

–: रद्दी नीलामी सूचना :–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय न्यायक्षेत्र के **मुख्यालय–चौमू** पर स्थित अभिलेखागार में तलफशुदा पत्रावलियों की रद्दी तादादी अनुमानित मात्रा वजन 3 टन, 8 क्विंटल और 91 किलोग्राम (3891 किलोग्राम) की नीलामी दिनांक 20.08.2025 को दोपहर 1.30 बजे नीलामी कमिटी द्वारा **जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय के अभिलेखागार, प्रथम भूतल, नई बिल्डिंग, कलेक्ट्रेट सर्किल, जयपुर की जायेगी**। नीलामी के संबंध में नियम एंव शर्तें किसी भी कार्य दिवस को इस कार्यालय में एवं राज्य सरकार की वेबसाइट htttp://sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है।

–: नीलामी के नियम एवं शर्तें :–

1. नीलामी हेतु सामग्री / रद्दी का **अवलोकन** कार्यालय समय में प्रभारी अधिकारी रिकॉर्ड शाखा एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–10, जयपुर महानगर द्वितीय, मुख्यालय चौमू के अभिलेखागार में दिनांक 20.08.2025 प्रातः 11.00 बजे तक किया जा सकता है।
2. नीलामी की **कार्यवाही** जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय के अभिलेखागार, प्रथम भूतल, नई बिल्डिंग, कलेक्ट्रेट सर्किल, जयपुर में दोपहर 1.30 बजे से की जायेगी।
3. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति / फर्म / संस्था अमानत राशि रूपये 10,000 / – दिनांक 20.08.2025 को अपराहन 01.00 बजे तक कैशियर, जयपुर महानगर द्वितीय कमरा संख्या 629 में जमा करवाकर नीलामी कार्यवाही में बोली लगा सकते है। नीलामी अमानत राशि नकद जमा करानी होगी। अमानत राशि जमा नहीं कराने वाले इच्छुक व्यक्ति / फर्म / संस्था बोली में भाग नहीं ले सकेगी।
4. नीलामी तिथि स्थगित करने अथवा प्राप्त बोली को स्वीकार / अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष रद्दी नीलामी कमेटी को होगा।
5. नीलामी हेतु उपयुक्त बोली प्राप्त नहीं होने पर उनसे नेगोशियेशन कर उचित बोली स्वीकृत करने की कार्यवाही की जावेगी।
6. नीलामी बोली स्वीकृत होने के तुरन्त बाद रूपये 20,000 (अक्षरे बीस हजार रूपये) स्वीकृत बोलीदाता द्वारा धरोहर रशि के रूप में अग्रिम जमा करवाने होंगे, जिसे अंत में रद्दी की कीमत में समायोजित कर लिया जायेगा। नीलामी बोली मंजूर होने के बाद स्वीकृत बोलीदाता को रद्दी 07 दिवस / यथाशीघ्र अपने खर्चे से अभिलेखागार, ADJ-10, मुख्यालय चौमू से भरकर / उठाकर / तुलवाकर ले जानी होगी।
7. घडी / मीटर कांटे से रद्दी की तोल नहीं करवाई जावेगी। रद्दी की तुलाई धर्मकांटे से करवाई जावेगी। समस्त व्यय स्वीकृत बोलीदाता द्वारा ही वहन किये जायेंगे।
8. जिन बोलीदाताओं की नीलामी दरें स्वीकार नहीं होगी, उनके द्वारा जमा करवाई गई राशि रूपये 10,000 / – तुरन्त मौके पर लौटा दी जावेगी। सफल बोलीदाता की अमानत राशि को धरोहर राशि में समायोजत करते हुये शेष राशि दो दिवस में जमा करवायी जायेगी (अंकित वजन अनुसार)। वास्तविक वजन करवाने के पश्चात जमा करवायी गयी राशि में यदि कोई अंतर पाया गया तो शेष राशि संबंधित द्वारा तुरंत जमा करायी जावेगी। उसके पश्चात ही नीलामी रद्दी सामग्री संबंधित स्वीकृत बोलीदाता को ले जाने का अधिकार होगा।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में रद्दी नीलामी कमेटी का निर्णय अंतिम होगा।

अध्यक्ष
Disposal/ Auction of weeded papers
of record section एवं ASJ-WA

क्रमांक : 421 दिनांक : 8/8/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर–II
2. श्रीमान प्रभारी अधिकारी रिकॉर्ड शाखा एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–10, जयपुर महानगर द्वितीय, मुख्यालय चौमू
3. श्रीमान प्रभारी अधिकारी रिकॉर्ड शाखा / लेखा शाखा, जयपुर महानगर–II
4. कमिटी सदस्य श्रीमान ACJM-4/Court Manager/AAO-1
5. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर–II / मुख्यालय चौमू
6. सिस्टम ऑफिसर, जयपुर महानगर द्वितीय को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अध्यक्ष
Disposal/ Auction of weeded papers
of record section एवं ASJ-WA